Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–130 A, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर को बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर चांपा वनमंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि बिलासपुर–उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :–

वनमंडल	आरक्षित वन	संरक्षित वन	राजस्व वन	योग
जांजगीर–चांपा	29.928	12.473	4.380	46.781
बिलासपुर	–	–	0.771	0.771
योग	29.928	12.473	5.151	47.552

Signature 15/01/2021

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

Date : 15 -01-2021

Place : Raipur

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–30/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/1/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अरण्य भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः — **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Proposed Project pertains to Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur – Urga section of NH-130 A (Raipur – Dhanbad Economic Corridor which shall start at Juction with NH 130 & NH-130 A area – 47.552 ha. regarding.**

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–804/1940, दिनांक 03.11.2020 तथा **पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध/115–804/2409, दिनांक 30.12.2020 ।**

----00----

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :—

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र—** आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–130 A, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर चांपा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि बिलासपुर–उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। **वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:—**	**1 से 4**

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	जांजगीर–चांपा	29.928	12.473	4.380	46.781
2	बिलासपुर	–	–	0.771	0.771
	योग	29.928	12.473	5.151	47.552

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/38338/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.12.2019 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 46000 रूपये जमा कराया गया है।	**5 से 12**
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांपा वन मंडल अंतर्गत 46.781 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	**13 से 17**

Rajesh

D: 1980 FCA/LALIT/NL/DOC.

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित क्षेत्र में बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत 480.046 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	18 से 149
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	150 से 153
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	154 से 159
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव–** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 12.473 हे. आरक्षित वन भूमि 29.928 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.151 हे. कुल 47.552 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 105300 लाख बतायी गई है । प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.3 है।	160 से 172
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.771 हे. एवं जांजगीर जांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत 46.781 हे. (संरक्षित वन भूमि 12.473 हे., आरक्षित वन भूमि 29.928 हे. एवं राजस्व वन भूमि 5.151 हे.) वन भूमि बिलासपुर–उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 47.552 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	173 से 180
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	181 से 182
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	183 से 185
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है।	187 से 201
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 47 एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत 7,938 नग मिश्रित प्रजाति के कुल 7,985 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।	202 से 305
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।	306 से 326
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी जांजगीर चांपा का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	327 से 328 तक
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	329 से 353
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 47.552 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि ग्राम कोड़गार, पेण्ड्रा परिक्षेत्र, मरवाही वनमंडल में 95.205 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।	354 से 388 तक
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	389 से 390

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	391 से 393
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में आवश्यक नही है।	394 से 395
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में आवश्यक नही है।	396 से 397
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर तथा वनमंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा द्वारा लेख किया गया है कि **"Land for Compensatory afforestation has been provided therefore certificate for unavailability of land is not required."**	398 से 399
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।	400 से 401
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	402 से 403
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	404 से 405
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	406 से 427
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा दिनांक 09.10.2020 को एवं वन मंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल द्वारा दिनांक 14.07.2020 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर –चांपा वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	408 से 427
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी जांजगीर–चांपा एवं बिलासपुर वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	428 से 430
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 26.02.2019 अनुसार लीनियर प्रकरण के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।	431 से 435
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** बिलासपुर जिले की कुल वन भूमि 78336.000 हे. है एवं जांजगीर–चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.66 वर्ग कि.मी. है।	436 से 438
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** बिलासपुर वन मंडल 723.378 हे. एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	439 से 441

Rajesh

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** बिलासपुर वनमंडल 723.378 हे. एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	442 से 444
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर तथा जांजगीर–चांपा वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	445 से 451
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	452 से 453
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बिलासपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2019 संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 435) कलेक्टर जांजगीर–चांपा का प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	454 से 456
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में जिला बिलासपुर में प्रभावित राजस्व वन भूमि रकबा 0.771 हे. का कलेक्टर बिलासपुर का दिनांक 08.07.2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। कलेक्टर जांजगीर–चांपा का राजस्व वन भूमि संबंधी प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय प्रस्तुत किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	457 से 462
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	463 से 465
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	466 से 468
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है जो चांवल के पैदावर के लिए बहुत अच्छा है। मृदा वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए सामान्य है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	469 से 471
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा वन मंडल के द्वारा दिया गया है।	472 से 474
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	475 से 476
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	477 से 480
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** हाईवे परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	481 से 482

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	**483 से 484**
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण –** तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।	**485 से 507**

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rajput
15.1.21

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–30/2020/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/01/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,
2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर/जांजगीर–चांपा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4.आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–130 A, अभिलाषा परिसर, तिफरा, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajput
15.1.21

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

o/c